

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक: 3/पी.एम.सी./प्रशासनिक स्वी0-150/2017राँची, दिनांक.....

प्रेषक:

ई० मुक्ति साधन चौरसिया,
उप सचिव (अभियंत्रण)

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड,
पो.-हिन्, राँची।

द्वारा: आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय: जल संसाधन विभाग के लघु सिंचाई प्रक्षेत्राधीन लघु सिंचाई प्रमंडल राँची, बोकारो एवं गोडडा अंतर्गत परिशिष्ट-I के अनुसार तीन अदद तालाब योजनाओं के जीर्णोद्धार हेतु लागत राशि रु0 296.962 लाख (रुपये दो करोड़ छियान्वे लाख छियान्वे हजार दो सौ) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश-स्वीकृत।

1. जल संसाधन विभाग के लघु सिंचाई प्रक्षेत्राधीन लघु सिंचाई प्रमंडल राँची, बोकारो एवं गोडडा अंतर्गत परिशिष्ट-I के अनुसार तीन अदद तालाब योजनाओं के जीर्णोद्धार हेतु लागत राशि रु0 296.962 लाख (रुपये दो करोड़ छियान्वे लाख छियान्वे हजार दो सौ) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती हैं।
2. स्वीकृत प्रस्ताव सक्षम प्राधिकार द्वारा तकनीकी अनुमोदनोपरांत प्राप्त प्राक्कलन के आधार पर है।
3. स्वीकृत योजनाओं की कुल लागत राशि रु. 296.962 लाख है। उक्त तीन योजनाओं के जीर्णोद्धार के उपरांत कुल 350 हे. (खरीफ-265 हे0 एवं रब्बी-85 हे0) क्षेत्र में सिंचन क्षमता पुनर्जीवित होने का अनुमान है। वर्तमान में इन योजनाओं से 110 हे0 खरीफ क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। स्वीकृत कार्य का औसत इंसीडेस ऑफ कॉस्ट रु. 84846/-प्रति हेक्टेयर आकलित है। योजनावार प्राक्किलत राशि, पुनर्जीवित सिंचन क्षमता, इंसीडेस ऑफ कॉस्ट परिशिष्ट-I में अंकित है।
4. स्वीकृत योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति निम्नशर्तों के साथ प्रदान की जाती है—
 - (i) पुनर्स्थापन कार्य के पूर्व एवं कार्य करने के बाद कार्य स्थल का स्टिल फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी कराया जाएगा।
 - (ii) नियमानुसार कार्य प्रारंभ करने के पूर्व प्री-लेवल माप पुस्त में अंकित किया जाएगा एवं इसकी शत प्रतिशत जाँच सहायक अभियंता के द्वारा एवं (50%) पचास प्रतिशत जाँच कार्यपालक अभियंता द्वारा

की जाएगी। प्री-लेवल की जांच असम्बद्ध प्रमंडल से कराने के उपरांत कार्यकारी प्राक्कलन तैयार किया जायगा।

- (iii) स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व जल की उपलब्धता, कमाण्ड क्षेत्र के आकलन तथा प्राक्कलन के मद एवं मात्रा की जाँच मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका द्वारा सक्षम प्राधिकार से कराना सुनिश्चित किया जाएगा। सिंचाई हेतु आउटलेट (गेट चालित/स्लूइस वाल्व) का निर्माण कमाण्ड एरिया के लेवल के अनुसार होगा।
 - (iv) कराये जाने वाले कार्य की प्रकृति के अनुरूप अनुसूचित दर के मद को रखते हुए प्राक्कलन की स्वीकृति सक्षम पदाधिकारी द्वारा दी जाएगी।
 - (v) योजना के कार्यान्वयन के पूर्व कार्यकारी प्राक्कलन में Manual Labour को प्राथमिकता दी जाएगी एवं इससे संबंधित मदों का यथास्थित समावेश करते हुए प्राक्कलन की स्वीकृति दी जाएगी।
 - (vi) इन योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि योजना पर विगत पाँच वर्षों में किसी भी मद से पुनर्स्थापन / जीर्णोद्धार का कार्य नहीं कराया गया है।
 - (vii) इन योजनाओं का जीर्णोद्धार लोक निर्माण संहिता में निहित प्रावधानों के अंतर्गत किया जाएगा। योजना के जीर्णोद्धार कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व लाभुक समिति का गठन किया जाएगा, जिनपर योजना के रख-रखाव का दायित्व होगा। कार्यस्थल पर योजना के संचालन एवं रख-रखाव का दायित्व ग्रहण करने का लिखित सहमति लाभुक समिति से प्राप्त नहीं होने पर योजना का जीर्णोद्धार कार्य आरम्भ नहीं किया जायेगा।
 - (viii) उपरोक्त कंडिका '4' (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi) & (vii) के सम्पुष्टि के उपरांत ही योजना का कार्यान्वयन प्रारंभ किया जाएगा।
5. इस कार्य पर होने वाला व्यय निम्नांकित बजट शीर्ष में भारित होगा:-
- (क) बजट शीर्ष "मुख्य शीर्ष-4702 -लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना 20-पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुनर्स्थापन कार्य-विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य"
- (ख) बजट शीर्ष "मुख्य शीर्ष-4702 -लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-101-सतही जल-उप शीर्ष-20-पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुनर्स्थापन कार्य-विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य"
6. इन योजनाओं का जीर्णोद्धार वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रारम्भ कर एवं 2018-19 में पूर्ण कराया जाएगा।
7. इस कार्य के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, राँची/बोकारो/गोडडा होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी संबंधित मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका

होंगे। संबंधित कार्यपालक अभियंता की यह व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी कि योजना का जीर्णोद्धार कार्य उत्तम गुणवत्ता के साथ सम्पादित हो।

8. स्वीकृत कार्य के कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं तथा मानकों का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
9. झारखंड कोषागार संहिता के नियम-300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।
10. किसी भी स्थिति में राशि की निकासी बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।
11. प्रस्ताव पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।
12. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

अनु०:- परिशिष्ट-I

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
ह०/-

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक: 3/पी.एम.सी./प्रशासनिक स्वी०-150/2017राँची, दिनांक.....
प्रतिलिपि: योजना -सह- वित्त विभाग (योजना प्रभाग) झारखण्ड सरकार/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

अनु०:- परिशिष्ट -I

ह०/-

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक: 3/पी.एम.सी./प्रशासनिक स्वी०-150/2017राँची, दिनांक.....
प्रतिलिपि:- संबंधित कोषागार पदाधिकारी/राँची/बोकारो/गोडडा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

अनु०:- परिशिष्ट -I

ह०/-

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक: 3/पी.एम.सी./प्रशासनिक स्वी०-150/2017राँची, दिनांक.....
प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अभियंता प्रमुख-11, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता योजना मोनटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/उप सचिव(अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग/अधीक्षण अभियंता, योजना, मोनटरिंग एवं आयोजन अंचल-3/ अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, राँची/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, राँची/बोकारो/गोडडा/प्रशाखा पदाधिकारी-7, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित। संबंधित पदाधिकारी द्वारा सभी कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

अनु०:- परिशिष्ट -I



ह०/-

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक: 3/पी.एम.सी./प्रशासनिक स्वी0-150/2017राँची, दिनांक.....
प्रतिलिपि: आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल राँची/आयुक्त संथाल परगना, दुमका को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायकगण को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।
अनु0:- परिशिष्ट -I

ह0/-
(मुक्ति साधन चौरसिया)

उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक: 3/पी.एम.सी./प्रशासनिक स्वी0-150/2017राँची, दिनांक.....
प्रतिलिपि: माननीय मंत्री महोदय, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
अनु0:- परिशिष्ट -I

ह0/-
(मुक्ति साधन चौरसिया)

उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक: 3/पी.एम.सी./प्रशासनिक स्वी0-150/2017राँची, दिनांक 06.07.2017
प्रतिलिपि: वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग राँची को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
अनु0:- परिशिष्ट -I

(मुक्ति साधन चौरसिया)

उप सचिव (अभियंत्रण)

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई राँची प्रक्षेत्राधीन लघु सिंचाई प्रमंडल राँची, बोकारो एवं मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई दुमका प्रक्षेत्राधीन लघु सिंचाई प्रमंडल गोडड़ा अंतर्गत स्वीकृत तीन अदद तालाब योजनाओं के जीर्णोद्धार कार्य की विवरणी :-

क्रम सं०	प्रमंडल का नाम	योजना का नाम	जिला	प्रखंड	प्राक्कलित राशि	पूर्वजीवित सिंचाई क्षमता			Incidence of Cost	अभि०
						खरीफ	रब्बी	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(क) "बजट शीर्ष-4702-796 (TSP) -20-05-45' अंतर्गत

1	राँची	ओरमांझी तालाब का जीर्णोद्धार	राँची	ओरमांझी	122.465	110	20	130	94203	
---	-------	------------------------------	-------	---------	---------	-----	----	-----	-------	--

(ख) "बजट शीर्ष-4702-101 (OSP) -20-05-45" अंतर्गत

1	गोडड़ा	लखनप्रहाड़ी बड़ा तालाब का जीर्णोद्धार	गोडड़ा	पथरगामा	116.007	110	50	160	72500	
2	बोकारो	बड़की पुनू सरकारी तालाब का जीर्णोद्धार	बोकारो	गोमिया	58.490	45	15	60	97483	
कुल (क) + (ख) :-					174.497	155	65	220		
					296.962	265	85	350		

पत्रांक 24/17-18 ज.स्वी. दिनांक 06.02.2017

(मुख्य साधन बोरसिया)
उप सचिव (अभि०)
24/02/17